मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 (फाल्गुन 22, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री -

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006; तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 2076 म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 22 अगस्त, 2006;

(ख) क्रमांक 2818/म.प्र.वि.नि.आ / 2006, दिनांक 20 नवम्बर, 2006 ; तथा

(ग) क्रमांक 2942/ म.प्र,वि.नि.आ./ 2006, दिनांक 30 नवम्बर, 2006,

पटल पर रखेंगे.

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रुस्तम सिंह, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2003-सत्तावन, दिनांक 1 फरवरी, 2007 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम द्वारा बीमा की निविदा में अनियमितता से शासन को हुई हानि की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, डॉ. निशिथ पटेल, श्री राजेश पटेल, सदस्य, भोपाल के नादरा बस स्टेण्ड को हलालपुरा में स्थानांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम विलहरा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पनारी स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) तहसील तेंदूखेड़ा स्थित विश्राम गृह को पुनः संचालित कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, दिनांक 16 मार्च, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 4491) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मि. (1) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक-1 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक-2 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 मार्च, 2007